

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11078/1237

दिनांक :- 28.05.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सुनीता सैनी [लिंक न. 11078] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, नवलगढ़, झुंझुनूं - [23067] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 20/03/2018 से 28/03/2018 तक 9 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)
कुल 9 दिवस

उक्त कुल 9 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सुनीता सैनी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11078/1237

दिनांक :- 28.05.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, नवलगढ़, झुंझुनूं
2. कोषाधिकारी झुंझुनूं
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सुनीता सैनी [11078] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, नवलगढ़, झुंझुनूं
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)